

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर कानपुर-देहात ।

प्रकीर्ण वाद सं०-169/2023

प्रेमचन्द्र

बनाम

कपिल उर्फ रवि आदि ।

धारा 155 (2) द० प्र० सं०

थाना- सट्टी, कानपुर देहात।

आदेश

प्रार्थी प्रेमचन्द्र द्वारा विपक्षी कपिल उर्फ रवि के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155(2) द० प्र० सं० मय शपथपत्र प्रस्तुत कर एन०सी०आर०नं०-30/2023 की विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है ।

सुना तथा सम्बन्धित थाने की आख्या का अवलोकन किया ।

सम्बन्धित थाने की आख्या के अनुसार एन०सी०आर०नं० -30/2023 थाना हाजा पर पंजीकृत है जिसकी विवेचना नहीं हो रही है ।

अतः विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। थाना अध्यक्ष सट्टी, कानपुर देहात को आदेशित किया जाता है कि एन०सी०आर०नं०-30/2023 की विवेचना कराना सुनिश्चित करायें ।

दिनांक 28-08-2023

(राशि तोमर )

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भोगनीपुर, कानपुर देहात ।

J.O.Code-UP2540